प्रेषक,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

सेवा में,

समस्त प्रधानाचार्य,
राजकीय/अनुदानित, निजी क्षेत्र पालीटेकनिक संस्थाएं,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः 15095-197/जे0–109–प्रशा0–परि0 कानपुर दिनांकः 12-9-2011

विषयः–द्वितीय काउन्सिलिंग के माध्यम से चयनित छात्रों से फीस न लिये जाने एवं नवीन संस्था में पूर्व संस्था में छात्र की फीस स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया निदेशालय के पत्र संख्या 10/कैम्प–स0नि0(प्रशा0) दिनांक 06.09.11 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र में निर्देश दिये गये थे कि पूर्व से अध्ययनरत छात्रों के द्वितीय काउन्सिलिंग के माध्यम से चयनित होने पर नवीन संस्था में प्रवेश लेते समय छात्र द्वारा पुनः फीस न ली जाये।

उक्त के संबंध में समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय/अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की पालीटेकनिक संस्थाओं को आदेश दिया जाता है कि प्रथम काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेशित छात्र के द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग के माध्यम से अन्य संस्था में चयनित होने के उपरान्त नियमानुसार छात्र की फीस नई संस्था को स्थानान्तरित किया जाना है। उक्त धनराशि के स्थानान्तरण हेतु निम्नलिखित प्रकिया अपनाई जायेः–

1. छात्र की पूर्व संस्था राजकीय पाली0 से नवीन संस्था राजकीय पाली0 में चयन हो जाने पर उक्त छात्र द्वारा जमा की गयी धनराशि में से केवल छात्र निधि की धनराशि, छात्र की नवीन संस्था में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से स्थानान्तरित की जायेगी।
2. छात्र की पूर्व संस्था राजकीय पाली0 से नवीन संस्था अनुदानित/निजी क्षेत्र पाली0 में चयन हो जाने पर उक्त छात्र द्वारा जमा की गयी समस्त धनराशि नवीन संस्था में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से स्थानान्तरित की जायेगी। ऐसे प्रकरण में छात्र से शेष शुल्क संस्था द्वारा जमा करा लिया जाये।
3. छात्र की पूर्व संस्था अनुदानित पाली0 से नवीन संस्था अनुदानित पाली0 में चयन हो जाने पर उक्त छात्र द्वारा जमा की गयी समस्त धनराशि नवीन संस्था में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से स्थानान्तरित की जायेगी।
4. छात्र की पूर्व संस्था अनुदानित पाली0 से नवीन संस्था राजकीय पाली0 में चयन हो जाने पर उक्त छात्र द्वारा जमा की गयी समस्त धनराशि नवीन संस्था में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम

से स्थानान्तरित की जायेगी। ऐसे प्रकरण में नवीन संस्था द्वारा छात्र को अतिरिक्त (सरप्लस) शुल्क वापस करना होगा।

5. छात्र की पूर्व संस्था निजी क्षेत्र के पाली0 से नवीन संस्था राजकीय/अनुदानित पाली0 में चयन हो जाने पर उक्त छात्र द्वारा जमा की गयी समस्त धनराशि नवीन संस्था में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से स्थानान्तरित की जायेगी। ऐसे प्रकरण में नवीन संस्था द्वारा छात्र को अतिरिक्त (सरप्लस) शुल्क वापस करना होगा।

6. संस्थाओं द्वारा स्थानान्तरित की गयी धनराशि से सम्बन्धित अभिलेखों का रख–रखाव नियमानुसार करना होगा एवं छात्रों को अतिरिक्त शुल्क वापसी आदि का कार्य पूर्ण पारदर्शित रखते हुये सम्पन्न कराना होगा।

संस्था प्रधानाचार्य उपरोक्त आदेशों का पालन सुनिश्चित करते हुये स्थानान्तरित की जानी वाली धनराशि प्रत्येक दशा में दिनांक 30–09–11 से पूर्व सम्बन्धित संस्था में स्थानान्तरित कर दें। यदि गत वर्ष की भी कोई धनराशि किसी संस्था में स्थानानततरित की जानी है तो उसे भी उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित किये जाने की कार्यवाही सम्पादित करायें। किसी प्रकार की शिथिलता के लिये प्रधानाचार्य ही उत्तरदायी होंगें।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(मधुकर)
निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0:   /जे0–109–प्रशा0–परि0 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि–

1. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग–3, विधान भवन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की निजी क्षेत्र के संस्था प्रधानाचार्य को उक्त के संबंध में अपने स्तर से भी अवगत करा दें।
4. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

/

(मधुकर)
निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।